/ OA No- 03 of 2024. Respondent No-(5)

Date- 18/3/24

आदरणीय माननीय न्यायाधीश महोदय

समर्पण के साथ, मैं इस पत्र के माध्यम से आपके समक्ष अपनी समस्या को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम जय प्रकाश पुत्र प्रदभान है और गाँव दलौड़ का निवासी हूँ।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार पर मेरे भाई राजेंद्र द्वारा मानसिक पीड़ा और चिंता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हमारे परिवार को हिंसा के धमकियाँ दी है और हमारे परिवार के सदस्यों को हत्या की धमकी दी है। यह स्थिति हमारे लिए असहनीय और खतरनाक है।

मेरा भाई "राजेन्द्र" और उसका परिवार ~~ह~~ मुझे और परिवार को 15 सालों से परेशान कर रहा जिसकी वजह से मुझ पर मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है।

मेरे बचपन में मेरे पिता जी की मृत्यु हो गई थी और मेरा भाई राजेन्द्र ~~ह~~ परिवार में सबसे बड़ा है जिसका इसने फायदा उठाकर हमारे हक की जमीन हमारे बिना पूछे ~~बेच~~ दी और बाकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ~~हम~~ हमने ग्राम पंचायत से फैसला करवाया कि हमारी जमीन को दे दिया जाए पर इसने पंचायत का फैसला स्वीकार नहीं किया फिर ~~हमने~~ मेरी माँ ने कोर्ट केस करवाया जिसमें

मेरी बहनों ने और मेरे दूसरे भाई ने साथ दिया। कोर्ट के आदेशानुसार इसने हमारी दिल्ली की जमीन जो बेच रखी थी उसके लिए मेरी माँ और दूसरे भाई को 5-5 लाख रुपये दिए जिसके बाद मेरी माता जी और भाई "योगेश" ने कोर्ट केस वापिस ले लिया।

ग्राम पंचायत के आदेशानुसार हमारे गाँव की जमीन का 3 हिस्सों बटवारा हुआ था जो कि इसने मानने से अस्वीकार कर दिया।

इसके बाद इसने अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे परिवार और मेरे भाई "योगेश" और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

(1.) सबसे पहले राजेन्द्र ने 2010 में नागलोई वाला प्लाट धोखाधड़ी से बेच दिया जो मेरे व मेरे भाई "योगेश" के नाम था जिसके बाद हमने कोर्ट केस किया और ग्राम पंचायत हुई जिसमे राजेन्द्र ने 10 लाख देकर राजीनामा किया जिसकी कॉपी मैं साथ लगा रहा हूँ।

(2) हमारे पिता श्री चंद्रभान कौशिक के नाम गांव में कुछ दादालाही जमीन थी जिसकी वसीयत सन 1985 में लिखी गई थी पर "राजेन्द्र" ने हमारे पिता जी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात फर्जी वसीयत तैयार करवाकर जमीन अपने लड़कों के नाम करवा ली जो कि 1988 में पैदा हुए थे और जबकी वसीयत सन 1985 की लिखी गई थी।

(3)

67

उसके बाद मेरे भाई "योगेश" जो एयरपोर्ट मे नौकरी करता है उसके खिलाफ "राजेन्द्र" ने एक झूठी दरखास्त कराई और नकसलवाद का झूठा आरोप लगाकर एयरपोर्ट अमृतसर ऑफिस में दे दी जो की जाँच होने पर आरोप झूठे पाए गए और मेरा भाई योगेश इतना घबरा गया है कि वह 10-15 वर्ष से गाँव में भी नही आता। ~~और~~

(4) यह मेरे और मेरे परिवार के पीछे लगा हुआ है और जब भी गाँव में आता है और हमेशा झगड़ा करता है और गंदा बोलता है और बदमाशों को बुलवाकर जान से मारने की धमकी भी देता है। जिसकी वजह से मानसिक तनाव इतना बढ़ चुका है कि मुझे दो बार हार्ट की शिकायत हो गई है। 2015 में मुझे दो stunt डले थे और अब 2024 ~~में~~ मेरी By Pass surgery हुई है और इस केस की चिंता में मुझे 2015 से ~~प~~ मिरगी के दौरे की शिकायत ~~है~~ भी है। ~~ह~~ लेकिन फिर भी यह बंद नही हुआ और इसने इतना सब होते हुए भी हमारे खिलाफ NGT department, Haryana water resource में झूठे आरोप लगा दिये। इन सब की वजह से मैं इतना mentally disturbed हो चुका हूँ कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ~~है~~ तो या तो मैं पागल हो जाऊँगा या दिमाग की नस फट जाएगी।

इसने अब दिनांक 27/feb./2024 को मेरे लड़के "गौरव" के साथ झगड़ा किया और गंदा बोलने लगा फिर गौरव ने पुलिस ~~को~~ को फोन लगाया और जब पुलिस आई तो वह वहाँ से भाग चुका था।

मेरे भाई "राजेन्द्र" ने हमारे खिलाफ इतने झूठे बयान दिये है कि हम सब को कठिनाईयों में डाल रखा है। जिससे मेरे परिवार की स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं न्याय की शरण में आया हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा एवं न्याय करें।

मेरे पास जो भी रिकार्ड है उनकी कॉपी मैं साथ लगा रखी है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ~~अगर~~ आप न्याय करें और अगर भविष्य में अगर मुझे व मेरे परिवार को हानि होती है तो उसका दोषी सिर्फ "राजेन्द्र" ~~[illegible]~~ व उसके लड़के "अजय" व "पवन कुमार उर्फ पम्मी" होंगे।

प्रति वर्ष व दो वर्ष राजेन्द्र मेरे खिलाफ ~~[illegible]~~ झूठे आरोप लगाता रहता है व मुझे व मेरे परिवार को बेईज्जत करता रहता है। जिस से मैं व मेरा परिवार मानसिक व सामाजिक रूप से भी तंग है।

(5) तथा मैं आपके संदर्भ मे लाना चाहता हूँ कि जो मेरे खेत मे ट्यूबवैल है वह सबसे अच्छा एक मात्र मीठे पानी का जरिया है। क्योंकि हमारे गाँव का सरकारी पानी ना पीने व ना अच्छे इस्तेमाल मे लाने लायक है। जिसकी शिकायत भी ग्रामवासियों ने की तथा तब मेरे खेत में यह ट्यूबवैल लगवाया गया। मैंने उसके T.D.S. व अच्छे पानी न होने की रूक

ताज़ा अख़बार कटिंग भी लगा रहा हूँ ताकि मैं (5)

इसे साबित कर सकूँ जो कि पूरे गाँव ने निकलवाई है।

(6) मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि राजेन्द्र ने मेरे ख़िलाफ़ कुछ समय पहले भी चोरी की वस्तुएँ व गाड़ी का आरोप लगाया था जो स्वयं D.S.P Sampla (सांपला) के जाँच बाद झूठी साबित हुई। जो 141-H.M / 12-07-23 थी।

व साथ-साथ सांपला थाना में भी झूठा आरोप लगाया था जोकि जाँच पश्चात झूठा साबित हुआ इसकी भी एक कॉपी मैं साथ लगा रहा हूँ।

7.) मैं आपके संदर्भ में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि राजेन्द्र व उसके पुत्र पवन कुमार व अजय पर चोरी, 420सी, तलाक जैसे बहुत से मुकदमें दर्ज है जिनमें राजेन्द्र व उसका पुत्र पवन कुमार जेल भी काट चुके हैं। जिस से इनके कागज़ लाल हो चुके हैं व यह बार-बार मेरे बच्चों के भी कागज़ लाल करने व करवाने की धमकी व कोशिश करता रहता है।

अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अब आप जो भी फ़ैसला सुनाए मुझे मंज़ूर होगा। तथा मेरी व मेरे परिवार की परेशानियों व मजबूरी

को सौंप दें। आपकी **70** अति कृपा होगी।

गौरव
18/3/24.
Sd. जयप्रकाश

॥ जय बाबा सीताराम ॥

पूजा, सरपंच

M : 7015471492, 9306675752

ग्राम पंचायत, दतौड़

जिला रोहतक

क्रमांक 71 दिनांक..................

आज दिनांक , को ग्राम पंचायत दतौड़ त० सांपला जिला रोहतक (हरियाणा) व ग्राम वासियों की Meeting (आम सभा) हुई जिसमें ग्राम वासियों ने पंचायत के सामने पानी की किल्लत बोर अपनी शिकायत पंचायत के सामने की कि गाँव में सरकारी डिग्गी का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा व पानी की गुणवत्ता भी निम्नस्तर है। और पंचायत में लोगों ने बताया कि जो प्राइवेट पानी का जो ठेकेदार जयप्रकाश सपुत्र श्री चन्द्रभान निवासी गाँव दतौड़ का ठेके का समय जो कि पूर्ववत पंचायतों ने उक्त ठेकेदार का समय 10 साल दिया था वह भी पूरा होने को है। उसका समय भी आगे बढ़ाया जावे। पंचायत ने उक्त ठेकेदार को ग्रामसभा में बुलाया व पुरानी शर्तों के आधार पर उसे आगामी पाँच वर्षों के लिए ठेका दिया गया जिससे गाँव में पानी की समस्या का समाधान हो सके। ठेकेदार ने अपनी पुरानी शर्तों के आधार पर गाँव में पानी की सप्लाई सुचारु रूप से चलाने का वादा किया। और पंचायत ने ठेकेदार को आश्वासन दिया कि जहां पंचायत की सहयोग की जरूरत होगी वहां पंचायत करेगी

Pooja

सरपंच,
ग्राम पंचायत
दतौड जिला रोहतक

Khushi
Sunil Kumar
9896894860
Anita
Priti
Prince Kaushik
लक्ष्मीनारायण
सुदेश
Bhupender

[illegible]	9728675995		
[illegible]	8800171157	सगुन	9992509037
[illegible]	9812219576	[illegible]	9034218037
सुरेन्द्र कुमार	9812142100	सतीश कुमार	999250909
[illegible]	9812470824	Pawan	7027701270
Lalita	8708427758	[illegible]	8871803724
[illegible]	9812718458	कपिल	
शुभम	9050424641	Niranjan Dev	9671128488
Manjeet	8708542291	प्रेम सिंह	9813617038
Sangeeta	8607091131	[illegible]	9992181933
Satbir	8396061840	~~[illegible]~~	9812867620
[illegible]	9992856614	महावीर	8930079434
Hariom	7503782609	[illegible]	8586014491
Kaliroman	9053430300	Lal Bahadur	9991321877
[illegible]	8059384907	Ramesh	9992029691
Ankit	8708408917	[illegible]	8059534517
Manish	9050146060	[illegible]	9991852385
[illegible]	8059701977	मामन सिंह	805973003
Gautam	7404254910	महेन्द्र सिंह	9671625635
Suman	9350576977	[illegible]	9518045540
Bharti	8683888932	[illegible]	9991197918

सेवा में

SHO साहब
थाना सांपला

निवेदन है कि आज दिनांक 11.7.10 को मैंने (राजेन्द्र S/O चन्द्र सिंह इस्माइला R/o हलौड़) ने अपने भाई जयप्रकाश S/O चन्द्र सिंह इस्माइला R/o हलौड़ के खिलाफ जमीन के बारे तथा झगड़ा करने बाबत दी थी उसका इसी पंचायत के पास एक फैसला हो गया है कि मुझे 1½ किला जड़ के पास एक सड़क में तथा 1 किला गांव के गौरे वाल वाला की साथ कुल 2½ किले मुझे ईश्वर के साथ वाला किला कुल 1½ किले मुझे फैसला में मिले हैं तथा बमुवजिब जयप्रकाश के हक में किला आपस में फैसला मंजूर किया है अब हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है फिलहाल दरखास्त को इन्दराज दाखिल दफ्तर के आदेश फरमाये जावे।

11/7/2010

Rajind Sing.

जय प्रकाश

H/C ... R/o हलौड़

Executive Engineer, Water Services Feeder Division, Rohtak
Irrigation & Water Resources Department, Haryana
E-mail: xenfdrrtk@gmail.com Ph No: 01262-271675

Irrigation & Water Resources Department Haryana

No. 4264-67 /HWRA/Enq. Report

Dated 28/08/23

To

The Chief Executive Officer
Haryana Water Resources Authority
Rear Building of HSVP, 3rd Floor,
Sector-6, Panchkula.

Subject: CM Window Complaint No. CMOFF/N/2023/052803 dated 03.05.2023-complaint against Jai Prakash S/o Chandre R/o VPO Dattaur.

Reference: Your office memo No./Complaint/HWRA/2023/688 dated 14.06.2023

In this regard, it is submitted that the subject cited CM window complaint was received through Hydrologist, Ground water cell, Rohtak vide letter No. 44 dated 27.063.2023.

As per direction issued by your goodself, undersigned got an enquiry through Sub divisional Officer, W.S. Feeder S/Divn. No.2, Rohtak and it has been reported by him that a R.O. plant was fixed at site without any NOC from HWRA. The underground water is being extracted from the tubewell installed along the Bhalaut Disty. at RD 43000/R. No document in support of utilization of ground water was available with them. The photograph of tubewell as well as RO plant are hereby attached. The notice for the same has also been served to Sh. Jaiprakash S/o Chandre R/o VPO Dattaur, Tehsil Sampla, Distt. Rohtak vide Sub divisional Officer, W.S. Feeder S/Divn. No.2, Rohtak office letter No. 548/6-E dated 14.07.2023 but till date no response has been received from Sh. Jaiprakash S/o Chandre R/o VPO Dattaur.

The same is submitted herewith for further necessary action in this matter, please.

(Er. Arun Munjal)
Enforcement Officer-Cum-
Executive Engineer
W.S. Feeder Divn. Rohtak

Deputy Commissioner, Rohtak w.r.t. letter No. 1241/CEB dated 21.06.2023, Please.

Executive Engineer, Rohtak W.S. Divn., Rohtak for further necessary action in the matter as Bhalaut Disty. falls in your jurisdiction, please.

3. Hydrologist, Ground water cell, I&WRD, Rohtak w.r.t letter No. 44 dated 27.063.2023, please.

[Stamp: कार्यकारी अभियन्ता रोहतक जल सेवाएं मण्डल रोहतक — केस न. 161-M, क्रमांक 1889, तिथि 28/8/23, J/SDC]

[Stamp: Bhalaut S/Divn — 1526, 29/8/23, Ch. Window]

Handwritten: Copy fwd to SDO BLT for taking necessary action as per rules & submit report about current case with evidence. 29/8/23

As above

28/8

राजीनामा

आज दिनांक 23-7-2013 को राजेन्द्र, योगेन्द्र और जयप्रकाश पुत्रान श्री चन्द्र गाँव डलौड़ जिला रोहतक जोकि इनका आपस में प्लाट व जमीन, वसीयत आदि के बारे झगड़ा था गांव की पंचायत व लोगों ने पंचायत में फैसला करवा दिया है। जोकि निम्नलिखित है।

(1) यह है कि जो प्लाट कांगलोई में राजेन्द्र को बेचा था उसके पांच-पांच लाख रुपये कुल 10 लाख रुपये राजेन्द्र अपने दोनों भाई यानि भाईयों योगेन्द्र व जयप्रकाश को देगा। और पैसे देने के बाद सलोचना इनकी माता व इनकी बहन आपस पर दावे जो अदालत में चल रहे हैं वे वापिस ले लेंगी।

(2) यह है कि जो हाल में जमीन जमाबन्दी कागजात माल में है वह इसी तरह मान्य रहेगी यानि जो खसरा जमाबन्दी में अंकित नाम है व उसी तरह मानी जायेगी व जो इनका पहले बटवारा मकान प्लाट आदि बारे हो चुका है उसी पर कायम रहेंगे। आबादी देह की जमीन भी दोनों भाइयों में बराबर बटेगी।

(3) यह है कि जो अदालत में केस / इस्तगासा सलोचना आदि ने राजेन्द्र आदि पर डाल रखा है वह केस / इस्तगासा सलोचना आदि वापिस ले लेगी।

प्रथम पक्ष

[signature] सरपंच
ग्राम पंचायत, डलौड़
जिला रोहतक

जयप्रकाश

PE [illegible] Ex सरपंच

राजबीर
Ex सरपंच

रणबीर

द्वितीय पक्ष

Rajinder Saini (?)

[signature]
योगेन्द्र सिंह

सुखबीर पंच
सुखबीर

ओमप्रकाश

(3)

सेवा में,

श्री मान एस एच ओ साहब,

थाना सांपला जिला रोहतक ।

विषयः दरखास्त बराये कराए जाने उचित व आवश्यक कानूनी कार्यवाही विरूद्धः राजेन्द्र कौशिक सुपुत्र श्री चन्द्र कौशिक निवासी मकान नं0 133 राजेन्द्रा पार्क नांगलोई दिल्ली-41 ।

श्री मान जी,

सेवा में निवेदन है कि हम प्रार्थीगण सुलोचनादेवी पत्नी स्वर्गीय श्री चन्द्र कौशिक व योगेन्द्रसिंह व जयप्रकाश सुपुत्रगण स्वर्गीय श्री चन्द्र कौशिक निवासीगण ग्राम दत्तौड तहसील सांपला जिला रोहतक के हैं । जिसमें से योगेन्द्रसिंह अमृतसर में एयरपोर्ट अथोरटी आफ इण्डिया में नौकरी करता है और अपनी नौकरी के दौरान अस्थायी तौर से अमृतसर में ही रहता है ।

यह कि हमारे पिता श्री चन्द्र कौशिक के नाम गांव में कुछ दादालाही जमीन थी जिसको उक्त दोषी फर्जी तौर पर हमारे पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात फर्जी वसीयत तैयार करवाकर जमीन अपने लडकों के नाम करवा ली । इसके अतिरिक्त एक प्लाट नागलोई दिल्ली में था जो कि हम दोनों प्रार्थीगण योगेन्द्रसिंह, जयप्रकाश ने सांझे में खरीद किया था और हमारे से राजेन्द्र कौशिक पैसे लेकर गया था और कहा था कि रजिस्टरी हमारे नाम करवाई है और उसके पास रखी है जब चाहे ले लेना । अब कुछ समय पहले उक्त प्लाट को बेच दिया और हमारे को पैसे भी नहीं दिए । मांगने पर न देने पर हमने उसके खिलाफ कार्यवाही करने बारे कहा, जिस पर वह तैश में आ गया और जान से मारने की धमकी दी और यह भी कहा कि तुम्हारे खिलाफ केस बनवा दूंगा और तेरी नौकरी से भी डिसमिस करा दूंगा । और यह भी धमकी दी कि तुम्हारे बच्चों को उठवा दूंगा, सारी जिन्दगी तलाश करते रहोगे ।

अतः प्रार्थना है कि उक्त दोषी जो कि एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्यवाही की जावे । तथा प्रार्थीगण की जान माल की रक्षा की जावे । यदि दोषी हमारे साथ कोई घटना करता है तो प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा । आपकी अति कृपा होगी ।

RTI सुलोचना

स्थान रोहतक ।

प्रार्थीगण जय प्रकाश

दिनांकः 19.04.2010.

सुलोचनादेवी विधवा, व योगेन्द्रसिंह,

जयप्रकाश पुत्रान् श्री चन्द्रकौशिक नि0

ग्राम दत्तौड तहसील सांपला जिला रोहतक ।

न्यायालय जनाब सहायक कलैक्ट्र प्रथम श्रेणी सांपला जिला रोहतक

अजय वगैरा बनाम योगेन्द्र वगैरा

जवाब दावा बाबत तकसीम अराजी वाका मौजा
दतौड़ तहसील सांपला जिला रोहतक

श्रीमान् जी

उतरवादीगण/प्रत्यार्थीगण निम्न जवाब दावा पेश करते है कि :

1.यह कि दरखास्त का फिकरा नं. 1 रिकाड़ माल के अनुसार दुरस्त है ये रिकाड़ की बात है । इस भुमि में जो प्रार्थीगण का हिस्सा बताया गया है वो सही व दुरस्त नहीं है इस जमीन के दो इंतकाल नं. 2678, 2777 हैं और इसकी वसीयत भी झूठी करवा रखी है इस वसीयत के अनुसार जिसके नाम वसीयत कराई गई है वो 1988 में पैदा हुआ था और जबकि वसीयत सन् 1985 की लिखी हुई है । इस बात माननीय दिवानी अदालत रोहतक में दावा भी चला हुआ है जो कि तकसीत तलब भुमि बारे डारेक्शन आफ टाईटल है इसके अलावा माननीय अदालत रोहतक में 420 का मुकदमा चल रहा है । इस कारण भुमि की तकसीम नहीं हो सकती जब तक माननीय अदालत रोहतक का कोई फैसला नहीं होता ।

2. यह कि दरखास्त का फिकरा नं. 2 के अनुसार फरीकैन का परिवार अलग अलग रहता है । पर प्रार्थी गण झूठी वसीयत के आधार पर अपने हिस्से से ज्यादा भुमि की पैदावार का लाभ उठा रहे हैं ।

3. यह कि दरखास्त का फिकरा नं. 3 गलत है । जब तक माननीय अदालत रोहतक से दिवानी व फौजदारी 420 के दोनो मुकदमों का फैसला नहीं हो जाता भुमि की तकसीम नहीं हो सकती ।

4. यह कि दरखास्त का फिकरा नं. 4 सही है

5. यह कि दरखासत का पिफकरा नं. 5 सही है ।

अत: जनाब से प्रार्थना है कि जब तक मानीय अदालत रोहतक के दोनो मुकदमों का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक भुमि की तकसीम ना की जावे व दरखास्त को खारिज किया जावे ।

जयप्रकाश

प्रत्यार्थीगण
योगेन्द्र , जयप्रकाश पुत्र चन्दराम उर्फ चन्दर
निवासीगण दतौड़ तहसील सांपला जिला रोहतक

तसदीक की जाती है कि जवाब दावा के तमाम
फिकराजात हमारी बुद्धि व समझ के अनुसार सही
व् दुरस्त हैं ।
मुकाम सांपला दिनांक 5.10.2012

जयप्रकाश

प्रपत्र संख्या 6
(नियम 8)

मृत्यु प्रमाण पत्र

हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17 के अधीन जारी किया मृत्यु प्रमाण–पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल रिकार्ड से ली गई है, जो (स्थानीय क्षे पुलिस स्टेशन सांपला, तहसील रोहतक, जिला रोहतक, राज्य हरियाणा के रजिस्टर में है।

नाम	: चन्द्रे	रजिस्ट्रेशन संख्या	: 6
लिंग	: पु0	रजिस्ट्रेशन तिथि	: 19/10/1986
मृत्यु तिथि	: 12/10/1986	स्थायी पता	: दतौड़
मृत्यु स्थान	: दतौड़		
पिता/पति का नाम	: संगराम		
मृत्यु तिथि (शब्दों में)	: TWELVE OCTOBER Nineteen Hundred EIGHTY-SIX		

Additional District Registrar
जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Birth & Death
Distt. ROHTAK

प्रेषण क्रमांक: 1,984
तिथि: 25.02.2010

उपरोक्त उद्धरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम सैक्शन 76 के अनुसार सही प्रमाणित किया जाता है

मोहर

1169 [signature]

राजीनामा

आज दिनांक 11.08.2013 रविवार को मुकदमा जो आदरणीय श्रीमती अनीता दहिया सिविल जज रोहतक की कोर्ट में अनुवान सलोचना आदि बनाम राजेन्द्र आदि के नाम से चल रहा है उसमें आपसी समझौता हो गया है जिसकी शर्ते निम्न प्रकार से तय की गई हैं:

1. यह कि फरीकैन यानि वादी व प्रतिवादी आपस में सगे भाई, बहन, मां व भतीजे हैं तथा विवाद भी दादालाही मलकियत भूमि का है।

2. यह कि हमारी विवादित भूमि जो 71 कनाल है जिसमें 2/3 भाग के मालिक योगेश उर्फ योगेन्द्र व जयप्रकाश बाहिस्सा बराबर होंगे व 1/3 भाग के मालिक अजय व पवन पुत्रान राजेन्द्र बाहिस्सा बराबर होंगे। जो गांव में आबादी देह की जमीन मकान आदि हैं वह भी उपरोक्त के अनुसार तीन हिस्सों में होंगे।

3. यह कि जो भी पहले एक दूसरे के खिलाफ दरखास्त व इस्तगासा आदि डाल रखे हैं वह भी वापिस ले लेंगे। हमारा आपस में गिला शिकवा दूर हो गया है। जमीन बारे कोई भी केस नहीं डालेगा। फिकरा नम्बर 2 के अनुसार हम कायम रहेंगे।

यह कि सभी का मिलकर आपस में उपरोक्त अनुसार राजीनामा हो गया है जो सभी को मन्जूर है। अत यह राजीनामा लिख दिया है कि प्रमाण रहे। दिनांक 11.08.2013 स्थान दतौड।

Rajender

सलोचना देवी

ओमपती देवी

योगिन्द्र सिंह

जयप्रकाश

शकुन्तला

राजबाला

डॉम निवासी
दतौड (रोहतक)

80

2024

शराब, धुम्रपान, पान व तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है।

पंडित भगवत् दयाल शर्मा पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक

Pt. B.D. SHARMA PGIMS, ROHTAK

॥ बदलता हरियाणा–बढ़ता हरियाणा ॥

हरियाणा स्वर्ण उत्सव

OUT PATIENT CARD

No. 159016

R UHID : 130021238442 14/03/24 12:14 PM
0151 Room: 29 Fee: Rs.0.0
Psychiatry

Jai Parkash, 55 years, Male
Father Name: Chandre
Mob 9728111441 Address : dataur
Dataur, Rohtak, Haryana
PGIMS Rohtak

Not for MLC Purpose

OPD No.

Age & Sex

INCOME in Rs. P.M.

4635/24

Date	Treatment
14/3/24 पानी	R.. Tab Sertraline 50mg 1 HS रात Tab. ~~Zapiz~~ clonazepam 0.5mg 1-0-2 सुबह, रात x 3 weeks. Srijata UNIT-II 2 6/4/L

ADR Reporting Helpline (Toll Free 1800-180-3024)

Pt. B.D.Sharma, POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, Rohtak

L.S.L. SUPER SPECIALITY CENTRE, DEPARTMENT OF CARDIAC SURGERY

DISCHARGE SUMMARY

Name: Jai parkash **Age/Sex: 51**yrs/M **Add. & Mob. No:** dataur, Rohtak Haryana,9728111441
C.R. No.:-24/6740 **D.O.A:**24/01/2024 (transferred from cardiology to CTVS on 27/01/24)
D.O.Op: 02/02/20234 **D.O.D:** 09/02/2024
Comorbidities:-None **Sensitivity:** None

DIAGNOSIS: CAD/ TVD with LVEF 45% with Post PTCA and stenting in LCX (20/10/2015)

OPERATION: OP CABG x3 (LIMA→LAD; RSVG→OM; RSVG→RCA)

INVESTIGATIONS:
ECG: HR= 66 bpm, Sinus rhythm, No axis deviation, good R wave progression, with non specific ST-T changes
CXR: Cardiomegaly with enlarged LV(LV type apex) with COPD changes
2D Echo: AO 34mm, LA 37 mm, LVID(d/s)=49/40, LVEF 45%; MV normal, No MR; AOV normal, No AR, Avel=1.0 m/s; TV normal, No TR; PV normal, No PR; chamber size normal, mild concentric LVH +, hypokinetic inferior septum, inferior wall, basal and mid segment. IAS and IVS intact; No PDA, No COA. DDF grade 2/4.
CAG:
LAD – Proximal to mid diffuse disease, Max 95%
D1- ostial 90% (small caliber vessel)
LCX – proximal ISR 99%
RCA – proximal 80% mid diffuse disease
Operative Findings and procedure in brief:

Surgeon-Dr. Sandeep Singh, Dr.Panmeshwar, Dr. Shoranki
Incision: Midline sternotomy
Operative findings:

- Cardiomegaly present, white patch present in lateral surface of the heart
- LIMA→ 1.25mm, Good flow
- LAD→ 1.25 mm, average native flow
- OM→1.5mm, good native flow
- RCA →2mm, good native flow
- RSVG→4 mm, Good caliber

Operative procedure:
Patient laid in supine position, proper cleaning and draping done. Midline sternotomy done. Target vessel identified. LIMA and RSVG (from Left thigh) harvested. Heparin given. LIMA to LAD distal anastamosis done with 7-0 prolene suture on beating heart with the help of octopus stabilizer. RSVG to OM distal anastamosis done with 7-0 prolene suture. RSVG to RCA distal anstamosis with 7-0 prolene suture done on beating heart with the help of octopus stabilizer and apex elevator. Both the RSVG anastamosed proximally to Ascending Aorta with the help of side biting clamp with 6-0 prolene suture. Protamine given. complete hemostasis achieved. 1 left pleural and 1 retrosternal drain put in. Sternum closed with steel wires. Wound closed in layers. Antiseptic dressing applied. Patient shifted to ICU in stable hemodynamic condition on ventilatory & inotropic support.

Only For TPA Purpose. Not For MLC Purpose

82

शराब पीना व धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है

PT. B.D. SHARMA POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, ROHTAK

P.G.I.M.S. ROHTAK

हरियाणा स्वर्ण उत्सव

॥ बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा ॥

Follow up and Discharge Card

Department Gx Sx

Head of the Unit

Unit 6 / I

Surgeon's Name – S.R on Duty

O.P.D. Days सोम/वीर

C.O.D. No.

O.P.D. No.

Follow up day

Cr. No. – 13620

Name of the Patient Jai Prakash

Age & Sex 50Yr/M

Date of Admission 03/09/18

Diagnosis M. Injury

Date of Discharge 03/09/18

Operation – Conservative

Treatment and advice on Discharge

T. Amoxyclav 625 mg 1 tab TDS
T. Rantac 150 mg 1 tab OD
T. Voveran SR 75 mg 1 tab OD
T. Sukradyn 1 tab OD
× 7 day

Consultant

Resident

कृपया यह कार्ड सम्भाल कर रखें तथा हर बार अस्पताल आते समय साथ लायें।

ADR Reporting Helpline (Toll Free) : 1800-180-3024

F/U in Sx OPD (250) सोम वीर

F/U in NSx OPD (227) सोम/बुध/शुक्र

ADR Reporting Helpline (Toll Free) : 1800-180-3024

30

2018

शराब, धुम्रपान, पान व तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है।

पंडित भगवत् दयाल शर्मा पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक

Pt. B.D. SHARMA PGIMS, ROHTAK

P.G.I.M.S. ROHTAK

हरियाणा स्वर्ण उत्सव

॥ बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा ॥

बहिरंग विभाग /OUT PATIENT CARD

No. 893955

Date ______ OPD ______ OPD No. ______

______ Age & Sex ______

N UHID : 130021276816
0209 Room: 14
Opthalmology

13/09/18 10:11 AM
Fee: Rs.5.0

Jai Parkash, 45 years, Male
Rohtak, Rohtak, Haryana
PGIMS, Rohtak

Not for MLC Purpose

INCOME in Rs. P.M.

t

VN < 6/60, 6/18

22 Angles

22 Refraction

Dilat

Pt. imp. Rx

V-R opinion

// 4C

ADR Reporting ' ' Free) : 1800-180-3024

R. ~~[crossed out]~~ Dhe mag blurr, myfari dhe. Forgotten one mark (P)

Sluggish Ready fast (middilated)

R. T. Ranitin

T. Wysolone 60 mg x 3d, 50 x 3d, 40 x 3d

Cap Tofaq-ER x 1 OD x 7 day

E/D Iotim x OD

E/D Amplinak x OOD

R/A 9 day

(3) +1/00, +1/00

(R) Pupil Dilated fixed. RAPD (+)

HM

29/9/18

Ref. (R) Housing

(R) Cap Neurobion fort x 1 OD

E/D Iotim x OD

E/D Amplinak x OOD

VEP

To come on 29/9/18 to ward 11 8 AM, oil on hair

DATE

Investigation :

NCCT Head → NAD
T-714
USG → NAD
CXR PA → OG-T-7554 → AP
For Rebozal

Ortho opn → No Active ortho
intervention required.

Eye opn → Cold comp x3 day
↓
Head Foveaflallo x3
F/u in opd